न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 61 / 2022

1 रणजीत पुत्र गीगाराम।
2 रामनिवास पुत्र गीगाराम।
3 संजय कुमार पुत्र गीगाराम।
4 पवन कुमार पुत्र गीगाराम।
5 श्रीमती किस्तुरी स्त्री गीगाराम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6 परमेश्वरी पुत्री गीगाराम पत्नी प्रभातीलाल।
7 रूकमणी पुत्री गीगाराम पत्नी सुलतान समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण घरडाना कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
8 विमला पुत्री गीगाराम पत्नी चिरंजीलाल जाति जांगिड़ निवासी ढ़ाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर पुत्र हरनन्द।
2 विधाधर पुत्र हरनन्द।
3 श्रीमती पार्वती स्त्री बीरबलराम।
4 रणवीर पुत्र बीरबलराम।
5 मनफुल पुत्र बीरबलराम।
6 मालचन्द पुत्र बीरबलराम।
7 ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम।
8 चन्दगीराम पुत्र बीरबलराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

9 श्रीमती संतोष स्त्री मूलचन्द समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

10 श्रवण कुमार पुत्र मूलचन्द जाति जांगिड़ निवासी भारू का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

11 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी टीनेन्सी एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 05.04.2022 बमुकदमा उनवानी रणजीत वगैरह बनाम महावीर वगैरह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मु.नं. 41/2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम कायमपुरा की भूमि खसरा नम्बर 129 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील दिनांक 25.08.2022 को रेस्पोडेंट ने न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुन्झुनू)

को सूचित किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। अपीलांट कायम मुकाम की कार्यवाही करें। अपीलांट द्वारा आदिनांक तक कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने से अपील के अबैटमेंट पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दौराने अपील दिनांक 25.08.2022 को रेस्पोडेंट ने न्यायालय को सूचित किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। अपीलांट कायम मुकाम की कार्यवाही करें। अपीलांट द्वारा आदिनांक तक कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने से अपील अबैट हो चुकी है। अबैटमेंट के आधार पर अपील खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि एक पक्षकार की मृत्यु होने पर उस पक्षकार की हद तक अबैटमेंट किया जा सकता है सम्पूर्ण अपील अबैट नही होती है। अपीलांट को न्यायहित में कायम मुकाम प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दौराने अपील दिनांक 25.08.2022 को रेस्पोडेंट ने न्यायालय को सूचित किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। अपीलांट कायम मुकाम की कार्यवाही करें। अपीलांट द्वारा आदिनांक तक कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने से अपील अबैट हो चुकी है। अपीलांट अपील के प्रति गम्भीर नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार का अवसर प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अबैट होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजाक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर